पत्रांक-3ए-3-भत्ता-04/2019-02/वि0, दिनांक-01.01.2020

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः- राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/ कार्यरत विभिन्न कोटि के राज्य कर्मियों तथा वेतन स्तर (-1) के कर्मियों के लिए अनुमान्य पुनरीक्षित भत्तों की दर निर्धारण के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017 के द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर राज्य कर्मियों के लिए विभिन्न भत्तों की संशोधित दर की स्वीकृति दी गयी है। उक्त संकल्प के द्वारा मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत एवं चालक भत्ता पदस्थापन स्थल/वेतन स्तर के आधार पर वर्गीकृत दर से स्वीकृत है। शेष भत्तों की दर सम्यक् रूप से स्वीकृत है।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9025, दिनांक-20/11/2017 के द्वारा राज्य सरकार के विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से भिन्न नियुक्त मजदूरों/नियमित मजदूरों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत एक नया वेतन स्तर (-1) स्वीकृत किया गया है। संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017 में वेतन स्तर (-1) के लिए पुनरीक्षित भत्तों की कोई दर निर्धारित नहीं है।

3. राज्य के बाहर मात्र बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली के कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता/शहरी परिवहन भत्ता/चालक भत्ता स्वीकृत है। वर्तमान में राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में भी विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय खोले जा रहे है, जहाँ कार्यरत/पदस्थापित राज्य कर्मियों के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता एवं नियमित चालकों के लिए चालक भत्ता की दर वित्त विभागीय संकल्प संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017 द्वारा निर्धारित नहीं है।

4. राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/कार्यरत विभिन्न कोटि के राज्य कर्मियों तथा वेतन स्तर (-1)

के कर्मियों के लिए अनुमान्य पुनरीक्षित भत्तों की दर निर्धारित किये जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि-

(i) राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/कार्यरत राज्य कर्मियों के लिए 24% की दर से मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

(ii) राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/कार्यरत राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) राज्य के बाहर देश के अन्य 'X' श्रेणी के महानगरों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त/कार्यरत राज्य सरकार के नियमित वाहन चालकों को रु० 1500/- (पन्द्रह सौ) प्रतिमाह चालक भत्ता अनुमान्य होगा।

(iv) वेतनस्तर (-1) के राज्य कर्मियों को पटना(यू०ए०) के लिए रु० 1000/- + D.A. एवं अन्य नगर निगम के लिए रु० 400 + D.A. की दर से परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(v) एल०टी०सी० से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति हेतु रेल यात्रा के लिए वेतनस्तर (-1) के राज्य कर्मियों को शयनयान श्रेणी (Sleeper Class) अनुमान्य होगा।

6. अन्य भत्ते वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017 एवं संकल्प संख्या-8044, दिनांक-11/10/2017 में विहित दर से अनुमान्य होंगे।

7. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-04/2019-02/वि,, पटना, दिनांक:-01.01.2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-04/2019-02/वि,, पटना, दिनांक:-01.01.2020

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-04/2019-02/वि,, पटना, दिनांक:-01.01.2020

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-3-भत्ता-04/2019-02/वि,, पटना, दिनांक:-01.01.2020

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इसके उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

D\LF2019\Sanlekh\8043 sansodhan